न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावां संख्या	रजू दिनांक	प्रारंभिक निर्णय दिनांक
09 / 2021	17.01.2021	28.01.2022

/ /उनवान/ /

1 सुबेसिंह पुत्र शिम्भूसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1 शिम्भूसिंह पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

2 उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर राज0।

3 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0। – असल प्रतिवादीगण

4 सरला पुत्री शिम्भूसिंह

5 बिमला पुत्री शिम्भूसिंह

6 सांवत पुत्री शिम्भूसिंह

7 होशियार पुत्र शिम्भूसिंह

8 बिरेन्द्र पुत्र शिम्भूसिंह जातियान गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

9 मंजू पुत्री गुड्डो पुत्री शिम्भूसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

10 रामफूल पुत्र गुड्डो पुत्री शिम्भूसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0। तरतीवी प्रतिवादी सं0 9 व 10 नाबालिंग जरिये सरपरस्त पिता दयाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

11 रोहताश पुत्र गुड्डो पुत्री शिम्भूसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

–: तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा– इश्तकरारहक हक बजरिये तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर0टी0ए0।

उपस्थिति:– 1 श्री मकरध्वज शर्मा – वकील वादी
2 श्री पिताम्बर – वकील प्रतिवादी सं0 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 28.01.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हाल ख0नं0 2551 रकबा 1.20 हे0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर में स्थित है जिसमें से प्रतिवादी सं0 01 ने 1/2 भाग एवं 1/6 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है तथा 1/3 भाग प्रतिवादी सं0 01 को जरिये रिलीज डीड प्राप्त हुआ है इस

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रकार उक्त ख0 नं0 2851 शामिल की खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 के नाम से दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजी मिन वादी व प्रतिवादी सं0 01 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी जायदाद है। जिसमें मिनवादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के असल प्रतिवादी सं0 01 के समान ही हक व अधिकार निहित है तथा मौके पर मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 07 व 08 समान भाग के रूप में काश्त करते है तथा भूमि पर काश्त करके अपने परिवार का पालन पोषण करते है तथा अपनी बहनों के भात व छूछक सामें में किये है एवं उनको बार त्यौहार देते है तथा उनका मान सम्मान करते है। प्रतिवादी सं0 01 पर घर परिवार के खर्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है ना ही प्रतिवादी सं0 01 किसी प्रकार से घर कामकाज करता है ना ही घर की कोई जिम्मेदारी निभाता है लेकिन प्रतिवादी सं0 01 कुछ दिनों से बाहरी व्यक्तियों के प्रभाव में आया हुआ है इसलिए वो बिना पारिवारिक लीगल आवश्यकता के आराजी मुतनाजा पर बिना मौके पर कब्जा लिये हुए ही दीगर जगह मुन्तकिल करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए प्रतिवादी सं0 को काफी समझा लिया है लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है इसलिए न्याय हित में मिनवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रतिवादी सं0 01 के जीते जी ही आराजी मुतनाजा में अपने हक की खातेदारी प्राप्त कर उसका अलग से तकासमा करवाने का अधिकारी है। इसलिए आराजी मुतनाजा पर से प्रतिवादी सं0 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किया जाकर उक्त आराजी के 1/8 हिस्से का खातेदार मिनवादी को तथा इसी अनुसार असल प्रतिवादी सं0 01 व तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाकर आराजी मुतनाजा का तकासमा हेतु डिक्री पारित की जावे एवं प्रतिवादी सं0 01 को हु0ई0 दवामी से पाबंद किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये संबंध तलब किये जाने पर बाद तलबी प्रतिवादी सं0 01 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर प्रकरण के बाबत आज राजीनामा पेश किया। मुताबिक राजीनामा हम वादी व प्रतिवादी सं0 01 शिंभूसिंह के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है कि वादी का वाद मुताबिक रिलीफ दावा डिक्री किये जाने पर प्रतिवादी सं0 01 शिंभूसिंह कोई आपत्ति नहीं होगी। राजीनामा बिना किसी के दबाव के व अपनी स्वतंत्र इच्छा पूरे होशहवास में किया गया है। प्रतिवादी सं0 01 शिंभूसिंह को उक्त दावा डिक्री किये जाने पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी व ना मैं प्रतिवादी सं0 01 शिंभूसिंह कोई अपील ही करूंगा। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात वकील वादी द्वारा राजीनामे के आधार पर वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वाद को राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने के संबंध में किये गये निवेदन के तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुना। दावा में वर्णित वादग्रस्त भूमि शालिग का खातेदार प्रतिवादी सं0 01 शिंभूसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0 04 ल0 10 प्रतिवादी सं0 01 के विधिक वारिसान है। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी सं0 01 के जीते जी अपने हक की [illegible] रिकॉर्ड में अंकन कराकर उसको तकसीम करवाने की रिलीफ चाही है तथा प्रतिवादी [illegible] द्वारा वादी के वादपत्र को डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने [illegible] प्रतिवादी सं0 01 द्वारा पेश राजीनामा के आधार पर वादग्रस्त [illegible] एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से के खातेदार [illegible] के समान वादी उपलब्ध है इसलिए यह न्यायालय वादी के वाद को वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 [illegible] तथ्य पत्रावली पर सं0 04 ल0 11 के नाम हिस्सेनुसार डिक्री किया जाकर खातेदार घोषित किये जाने योग्य पाता है साथ ही वादी द्वारा विवादित आराजी का तकासमा कराने का भी अनुतोष चाहा गया है ऐसी स्थिति में विवादित आराजी का तकासमा करने के लिए तहसीलदार से कुरेजात प्रस्ताव मंगवाया जाना

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिआवश्यक होता है इसलिए वादी के वाद को यह न्यायालय जरिये राजीनामा चाहे जाने खातेदारी वाद को डिकी किया जाकर मंगाया जाने कुरेजात प्रस्ताव प्रारंभिक डिकी किये जाने योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को बरूवे राजीनामा विवादित हाल आराजी ख0नं0 2551 / 1.20 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबात के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में डिकी किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 01 की खातेदारी के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी सं0 01 के बजाय विवादित आ0ख0नं0 2551 वाके ग्राम मुण्डावर का वादी को 1/8 भाग का व प्रतिवादी सं0 01 को 1/8 भाग का व तरतीवी प्रतिवादी सं0 04 ल0 08 प्रत्येक को 1/8 भाग के एवं तरतीवी प्रतिवादी सं0 09, 10, 11 प्रत्येक को 1/24 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं वादी द्वारा विवादित आराजी के तकासमा कराने के चाहे गये अनुतोष अनुसार प्रकरण को प्रारंभिक निर्णित किया जाता है। इस हेतु मंगाये जाने कुरेजात प्रस्ताव तहसीलदार मुण्डावर को अकाम जारी हो। बाद प्राप्ति कुरेजात प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 25.03.2022 को पेश हो। तदानुसार प्रारंभिक पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

28-01-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	अंतिम पर्चा डिक्री दिनांक
09/2022	17.01.2022	18.11.2022

//उनवान//

1 सुबेसिंह पुत्र शिम्भूसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1 शिम्भूसिंह पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

2 उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर राज0।

3 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– **असल प्रतिवादीगण**

4 सरला पुत्री शिम्भूसिंह

5 बिमला पुत्री शिम्भूसिंह

6 सांवत पुत्री शिम्भूसिंह

7 होशियार पुत्र शिम्भूसिंह

8 बिरेन्द्र पुत्र शिम्भूसिंह जातियान गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

9 मंजू पुत्री गुड्डो पुत्री शिम्भूसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

10 रामफूल पुत्र गुड्डो पुत्री शिम्भूसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0। तरतीवी प्रतिवादी सं0 9 व 10 नाबालिंग जरिये सरपरस्त पिता दयाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

11 रोहताश पुत्र गुड्डो पुत्री शिम्भूसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

–: **तरतीवी प्रतिवादीगण**

दावा– इश्तकरारहक हक बजरिये तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से वकील **श्री मकरध्वज शर्मा एवं प्रतिवादी सं0 01 की ओर से वकील श्री पीतांबर** की उपस्थिति में आज दिनांक **18.11.2022** को श्री **पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वादी के वाद को उक्तानुसार पूर्व में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्षकारान को सुना गया। वाद को खाता एवं लगान विभाजन बाबत अंतिम डिक्री करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 2551/1.20 है0 का लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार मुण्डावर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक–1025 दिनांक 21.10.2022 प्रदर्श–अ के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" व वाद शीर्षक इस अन्तिम निर्णय व अन्तिम पर्चा डिक्री के अभिन्न अंग रहेंगे। बैंक रहन की स्थिति में उभयपक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलनिये रहेगी। लगान आनुपातिक कायम करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

18-11-2022

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, जिला अलवर राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested